महत्वपूर्ण एवं खास

बालको के असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज

कोरबा।बालको कंपनी के एक असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ बालको पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बहरहाल बालको के शीर्ष अधिकारी पर हुए एफआईआर के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि बालको कंपनी में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर चंदन मिश्रा बीती रात अपने साथी अविनाश ठाकुर बालको गेट के समीप पान ठेला के संचालक बाजे राव से गाली गलौच कर मारपीट कर दी। मामले की सूचना पुलिस पहुंची तो मारपीट करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए थे। प्रार्थी की शिकायत पर बालको के असिस्टेंट मैनेजर और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323,34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के बाद घटना की जांच कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। थाना प्रभारी बालको विजय चेलक ने बताया है कि बालको के असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

मृत हितग्राहियों के नाम पर राशन निकालने वाले सरपंच सचिव के विरुद्ध अपराध दर्ज

कोरबा।फर्जी ऑनलाईन हस्ताक्षर के जरिए मृत हो चुके लोगों के नाम पर सरकारी राशन डकारने वाले सरपंच व सचिव के विरुद्ध आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके विरुद्ध धारा 420ए 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। मामला पाली जनपद व थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुर का है। यहां के सरपंच राजू जगत व सचिव महेश मरकाम के विरुद्ध शिवपुर निवासी चुन्नूलाल कंवर, रमेश कुमार टोप्पो, पंचराम कंवर, कृष्ण कुमार यादव व गौरीशंकर शर्मा के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी। सरपंच व सचिव के द्वारा फर्जी ऑनलाईन हस्ताक्षर के जरिए स्व. लालसाय यादव पिता शिवराती यादव, स्व. धनाबाई पति कृष्णाराम निर्मलकर, स्व. मथुरा बाई मराठा पति स्व. हनुमंत राव के नाम पर चावल, शक्कर, चनाए नमक कई महीनों से निकालकर भ्रष्टाचार करते हुए शासन को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस द्वारा अपनी जांच शुरू करते हुए बयान आदि लिए गए। शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक मांझी द्वारा भी किया गया लेकिन पुलिस द्वारा जांच प्रतिवेदन मांगे जाने पर नहीं दिया जा सका। 21 मार्च 2022 को जनपद पंचायत पाली के सीईओ को फोन कर जानकारी चाही गई जिन्होंने खाद्य निरीक्षक मांझी द्वारा जांच करना बताकर प्रतिवेदन एसडीएम पाली से ही मिल सकने की जानकारी दी।

महिला डाक्टर हुई आनलाइन ठगी की शिकार

भिलाई (आरएनएस)। दुर्ग जिले की एक महिला डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ठग ने डॉक्टर को फोन पर उसके बीएसएनएल सिम की वैलिडिटी खत्म होने की बात कही। इसके बाद उन्होंने उसके नंबर पर एक रुपए का रिचार्ज करने को कहा। जब महिला ने रिचार्ज किया और एक एप्लिकेशन डाउनलोड किया तो उसके खाते से 1 लाख रुपए निकल गए। इसके बाद महिला डॉक्टर ने नंदिनी थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता तनुजा लील्हारे अहिवारा की रहने वाली है। वह पेशे गवर्नमेंट डॉक्टर है। उनके मोबाइल पर बुधवार शाम फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताया। उसने महिला डॉक्टर से कहा कि उनके बीएसएनएल मोबाइल सिम की वैलिडिटी समाप्त हो गई है। अगर वह अपने मोबाइल फोन को एक रुपए से रिचार्ज करेगी तो उसकी सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इस पर महिला डॉक्टर ने एक रुपए का रीचार्ज करवा दिया। थोड़ी देर बाद कॉलर ने फिर से डॉक्टर को फोन किया और कहा कि एनिडेक्स एप्लिकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो 80 पैसे वापस हो जाएंगे। महिला डॉक्टर ने एनीडेक्स एप्लिकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया।

बिलासपुर स्टेशन में 25 मार्च से शुरू होगी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बेल मेटल की बिक्री

❑ यात्री खरीद सकेंगे ढोकरा कला द्वारा निर्मित बेल मेटल कलाकृतियां

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर स्टेशन में ढोकरा कला द्वारा निर्मित बेल मेटल कलाकृति की बिक्री के लिए स्टॉल प्लेटफार्म नं-01 में उपलब्ध कराई गई है जो कि 25 मार्च से प्रारम्भ होगी।

रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुये स्थानीय उत्पादों को देशभर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत क्षेत्रीय विशेष के खास उत्पादों की बिक्री के लिए रेलवे स्टेशनों में स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उत्पादों के स्टॉल लगने से वहाँ उतरने वाले यात्री उस जगह के खास उत्पादों के बारे में आसानी से जान सकेंगे साथ ही खरीद भी सकेंगे। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार में भी मदद मिलेगी। इस योजना के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर स्टेशन का चयन किया गया है।

इस योजना के तहत मंडल के बिलासपुर स्टेशन में ढोकरा कला द्वारा निर्मित बेल मेटल कलाकृति की बिक्री के लिए स्टॉल प्लेटफार्म नं 01 में उपलब्ध कराई गई है जो कि 25 मार्च से प्रारम्भ होगी। इस स्टॉल योजना को पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत 15 दिनों के लिए प्रायोगिक रूप में शुरू की गई है। इस स्टॉल से ढोकरा कला द्वारा निर्मित बेल मेटल से बनी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की खरीदी की जा सकेगी। इस योजना से स्थानीय कारीगरों के द्वारा स्वयं अपने उत्पादों की बिक्री की जाएगी।

इस योजना से छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को उनकी वैश्विक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी । छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्यमों को इस योजना से बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार सृजन के साथ-साथ उत्पादक किसान भाइयों, कामगारों, हस्तशिल्पों आदि की आय में भी वृद्धि होगी। जिससे इस क्षेत्र के साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस योजना से मेक इन इंडिया नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

10 फेरों के लिए सुपर फास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा 12 अप्रैल से

❑ लोकमान्य तिलक टर्मिनल एवं शालीमार के मध्य चलेगी

रायपुर (आरएनएस)। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान लोकमान्य तिलक टर्मिनल एवं शालीमार के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन के द्वारा 12 अप्रैल से एक सुपर फास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा 10 फेरों के लिए दी जा रही है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से शालीमार के लिए 01019 नंबर के साथ 12 अप्रैल से 14 जून 2022 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। इसी प्रकार शालीमार से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए 01020 नंबर के साथ दिनांक 14 अप्रैल से 16 जून तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। यह ट्रेन 15 एसी-3, 01 एसी-1, 03 एसी-2 एवं ब्रेक वैन सहित 22 कोचों के साथ चलेगी।

कलेक्टर के निर्देश के बाद शुरू हुआ ईमलीछापर-सर्वमंगला सड़क का निर्माण कार्य

❑ एक दिन पहले ही कलेक्टर साहू ने पीडब्लूडी के अधिकारियों को दिये थे सख्त निर्देश

कोरबा।कलेक्टर रानू साहू के सख्त निर्देश के 12 घंटे के भीतर ही बंद पड़े ईमलीछापर-सर्वमंगला सडक़ निर्माण का कार्य दोबारा शुरू हो गया है। पीडब्लूडी विभाग की निगरानी में ठेका कंपनी ने सुबह से ही काम प्रारंभ करने के साथ ही सडक़ो पर पानी का छिडक़ाव शुरू कर दिया है। जिससे आसपास के रहवासियों सहित राहगीरों को काफी राहत मिली है।

गौरतलब है कि ईमलीछापर-सर्वमंगला सडक़ निर्माण कार्य में लगी ठेका कंपनी ने फंड जारी नही करने का हवाला देकर सडक़ निर्माण कार्य को बंद कर दिया था। इस गंभीर मुददे पर कलेक्टर रानू साहू ने पीडब्ल्यूडी और निर्माण ठेकेदारों की बैठक लेकर इमलीछापर-सर्वमंगला सडक़ निर्माण में बिना स्वीकृति के 11 करोड़ रुपये व्यय करने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बगैर स्वीकृति के डीपीआर से अधिक व्यय करने तथा विभागीय लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण सडक़ निर्माण काम रुकने पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सडक़ निर्माण के कार्य को 2 दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सडक़ निर्माण प्रगति की जानकारी 15 दिन में आयोजित समीक्षा बैठक में देने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर सडक निर्माण कार्य पुन: शुरू हो गया है।

महानदी में जल क्रीड़ा कर रहे गजराज, 11 गांव में अलर्ट

महासमुंद (आरएनएस)। सिरपुर क्षेत्र में होली के पूर्व वापस लौटे दतैल ने एक बार फिर से ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की मुश्किले बढ़ा दी है। हाथियों की दहशत से ग्रामीण एक बार फिर खौफजदा है। बुधवार को दतैल हाथियों को महानदी में जलक्रीड़ा करते हुए देखा गया। विभाग ने हाथियों के महानदी से निकलकर क्षेत्र के 11 गांव बडगांव, नवापारा, अछरीडीह, बरबसपुर, अछोली, अछोला, जोबा, भोरिंग, तुमगांव, अमावश और बेलटुकरी के ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो क्षेत्र में विचरण हाथियों ने अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंचाई है जिससे राहत की बात है।

खनिज विभाग ने की बड़ी कार्र्वाई: अवैध रेत परिवहन करते 10 ट्रेक्टर सहित ओवरलोड हाइवा जब्त

कोरबा। जिले के खनिज विभाग द्वारा कटघोरा में बड़ी कार्यवाही की है जहाँ 10 ट्रेक्टर सहित एक ओवरलोड हाइवा को जप्त कर कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि लंबे समय से खनिज विभाग को अवैध रेत की शिकायतें मिल रही थी, लिहाजा आज खनिज विभाग की टीम ने कटघोरा में दबिश दी जहां 5 ट्रेक्टर रेत व 5 ट्रेक्टर ईटा से भरा हुआ जप्त किया गया है वही एक हाइवा को ओवरलोड गिट्टी के साथ जब्त किया गया है

बताया जाता है कि कटघोरा में अवैध रेत माफियाओं का सरगना निरंतर रूप सक्रिय हैं जो शासन के नाक तले लम्बे समय से परिवहन करते आ रहे हैं। खनिज विभाग के इस बड़ी कार्यवाही से रेत माफियाओं के होशलो पर कितना असर हुआ यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, बाकी आज की कार्यवाही से इतना जरूर साफ हो गया की अब खनिज विभाग भी अवैध रेत को लेकर कार्यवाही का मूड बना चुका है।

कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 12 दुकानों में की गई कार्यवाही

कोरबा।24 मार्च को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 12 दुकानों में कार्यवाही की गई है। वही 10 दुकानो में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है जिसका कुल राशि 1900/- रुपया है। वही साथ ही 2 दुकानों में मामूली गड़बड़ी पाए जाने पर चेतावनी देकर छोड़ा गया। वही मौके पर उपस्थित टीम द्वारा बताया गया कि कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाया गया है वही इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदारों को समझाइश दिया गया कि कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करें। एवं धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के बारे में बताकर जागरुक किया गया, साथ ही सभी दुकानों में पोस्टर चस्पा किया गया है।

विश्व क्षय रोग जागरुकता दिवस, स्वास्थ्य विभाग ने रैली निकालकर दिया सतर्क रहने का संदेश

कोरबा। कोविड-19 महामारी से जूझ रही आबादी को वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज देने के साथ सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया है। इसी के साथ हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इससे हटकर समस्याएं और भी हैं। संक्रमण की वजह से होने वाली टीबी या तपेदिक की बीमारी बड़ी दिक्कत है। जिसकी चपेट में कोरबा जिले के काफी लोग आए हुए हैं। अब तक के अनुसंधान में 1261 लोग टीबी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं।

विश्व क्षय रोग जागरुकता दिवस के अवसर पर कोरबा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम किया और लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ग ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। ओपन थिएटर से जिला अस्पताल तक निकाली गई रैली में ये लोग हाथों में पोस्टर के साथ नजर आए। इनमें बीमारी के लक्षणए कारणए निवारण और समाधान की जानकारी दी गई। नारे लगाकर भी लोगों को जगाने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस रैली में भागीदारी की। भ्रमण मार्ग पर लोगों का ध्यानाकर्षण इस रैली के जरिए किया गया। कोतूहलवश नागरिकों ने रैली को गंभीरता से लेने के साथ इसके निहितार्थ को समझने की कोशिश की। समापन मौके पर वक्ताओं ने आज के दिवस की महत्ता और इसके पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट किया।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के जिला अधिकारी डॉ.जी एस जात्रा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 7500 लोगों का परीक्षण किया गया। इनमें से 1261 पॉजिटिव पाये गए। इन्हें लक्ष्यित करने के साथ उपचार दिया जा रहा है। 6 महीने का विशेष उपचार इस कड़ी में शामिल है। इसी के साथ एक्स.रे से लेकर कई जांचें शामिल की गई है। लेबल थ्री के अंतर्गत एक भी पॉजिटिव मामला सामने आने पर उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को 6 महीने तक अतिरिक्त सावधानी के तौर पर दवाएं देने की व्यवस्था की गई है।

डॉ.वंदना चंदानी सहित 2 अन्य पर एफआईआर दर्ज करने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए आदेश

कोरबा। जिले में 22 मार्च 2022 को एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पीठासीन विद्वान न्यायाधीश आर एन पठारे ने अपने आदेश में ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालिका डॉ. वंदना चंदानी एवं अन्य दो स्टाफ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सीएसईबी पुलिस चौकी को निर्देशित किया है।

प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी कुसुमलता साहू ने कहा है कि वह 31 नवंबर 2020 को अपने पिता दिलेश्वर प्रसाद साहू को कोविड टेस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गई थी और वहां समय पर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नही दिए जाने के कारण इलाज के अभाव में उसके पिता दिलेश्वर प्रसाद साहू की अकाल मृत्यु हो गई। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरोपीगण के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अपनी गलती छिपाने के लिए जान-बूझकर फर्जीवाड़ा करते हुए सैंपल लेने व सैंपल रिपोर्ट जारी करने के समय में फर्जीवाड़ा किया गया है, सैंपल लेने का समय 10 बजे तथा रिपोर्ट जारी करने का समय 10.06 बजे दर्शित किया गया है जबकि दिलेश्वर प्रसाद साहू की मृत्यु 2 घंटे पूर्व हो चुकी थी। परिवादिनी के द्वारा मृत्यु के संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं कि मृत देह मोर्ग में रखी हुई थी।

प्रस्तुत परिवाद में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 468, 471, 188, 201 व 304 क भादस. के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग परिवादिनी द्वारा किए जाने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पीठासीन विद्वान न्यायाधीश आर एन पठारे ने 22 मार्च 2022 को अपने आदेश में लिखा है कि तथ्य से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का होना दर्शित होता है। उन्होंने अपने आदेश में सीएसईबी चौकी पुलिस को एफआईआर पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता अनीष कुमार सक्सेना ने पैरवी करते हुए पक्ष मजबूती से रखा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी टाकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान मे कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बीमार हाथी को वनकर्मियों की हड़ताल के बाद भी चौकीदार ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई

धमतरी (आरएनएस)। सीतानदी उदन्ती अम्यारण के अरसीकन्हार वन परिक्षेत्र में आज लगभग पाच दिनों से एक अस्वस्थ हाथी अपने दल से अलग हो कर विचरण कर रहा है । लेकिन वन विभाग के अधिकारियो द्वारा अभी तक हाथी के चेकअप की व्यवस्था नही की गई है। बताया जाता है कि नगरी ब्लाक के रिजर्व फ रेस्ट में आज लगभग दो माह से पैतीस हाथियो का दल अपने नन्हे शावक के साथ जंगलो में आराम से विचरण कर रहा है । जिसकी जानकारी स्थानीय पत्रकारों को मिली कि एक हाथी बिमार अवस्था मे अपने दल से अलग है ।कल पत्रकारों की टीम जंगल पहुंच कर अरसीकन्हार वन परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 206 में देखा कि एक वन चौकीदार बीमार हाथी के निगरानी कर रहा है । हाथी को लगभग 200 मीटर की दूरी से देखा गया, जन्हाअकेला हाथी सुस्त खडा था । वही वन चौकीदार ने बताया कि हाथी गर्भवती है और ऐसा लगता है की बच्चे देने का समय आ गया है। प्रसव पीडा की वजह से चल नही पा रही जो यही नदी में पानी केआसपास ही विचरण कर आराम कर रही है। वही वनचौकीदर से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो वो गर्भवती है जाच किये हो, तो कहने लगे अंदाजा बता रहे है मादा हाथी होने के चलते गर्भवती हो। इनके साथी हाथियों का दल दो तीन दिन मे आते है और देखकर फिर चले जाते है

वन कर्मी हड़ताल पर चौकीदारो के सहारे हाथी ड्यूटी- वही वन विभाग के कर्मचारी हडताल पर चले गये जिसके चलते अब हाथियो का ट्रेकिग , चौकीदार , फायर वाचर कर रहे वही काल बुधवार को चार चौकीदार बिमार हाथी के पास मौजूद रहे तो वहीं आठ चौकीदार पैतीस हाथियो की निगरानी मे कक्ष क्रमांक 223 मे हाथियो की निगरानी कर रहे थे ।

कभी भी हो सकता है घटना - वही फायर सीजन के चलते जंगलो मे आगजनी की घटनाए आम हो गई व जंगलो मे महुआ बिनने भी काफी मात्रा मेग्रामीण जंगल की ओर आते है। हाथियो का मनपसंद भोजन महुआ है ऐसे मे आगजनी व महुआ के चलते कोई अप्रिया घटना की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता।

हाथियो का दल जंगल में विचरण कर रहा है ,अगर कोई हाथी बिमार या अस्वस्थ है उन्हे कोई तकलीफ है तो डाक्टर को भेज कर जाच करवाते है हाथियो की निगरानी मे ट्रेकिंग दल लगा हुआ है जो हर पल की जानकारीअपने उचाधिकारीवो को देते है वरुण जैन (उप निदेशक) सीतानदी अभ्यारण गरियाबंद